



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 02/04/25

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 109/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र करीमुद्दीन निवासी मौ0 जाकिर कलोनी थाना लोहियानगर जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा बागपत ।

2-का0 535 अतल कुमार थाना खेकडा बागपत ।

3-का0 428 गौरव कुमार थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 02.04.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 110/25 धारा 109/118(2)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.04.2025 को थाना खेकडा पर वादी अरशद पुत्र रशीद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी के छोटे भाई 1.हैदर पुत्र रशीद, 2.समी पुत्र रशीद निवासी गण कस्बा रटौल थाना खेकडा द्वारा जमीन के बटवारे को लेकर वादी के साथ जान से मारने की नियत लाठी-डन्डो से मारपीट की, जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 110/25 धारा 109/118(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 110/25 धारा 109/118(2)/352 बीएनएस में वांछित नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

1. मौहम्मद समी पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मौहल्ला पीरजान कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संजय सिंह पोनिया थाना खकेडा
2. उ0नि0 युटी भुवनेश्वर कुमार थाना खकेडा
3. है0का0 392 उमेश भाटी थाना खकेडा
4. है0का0 177 अशोक कुमार थाना खकेडा



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर बागपत

दिनांक 02.04.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त मेहराजुद्दीन पुत्र नबाब को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1. मेहराजुद्दीन पुत्र नबाब निवासी ग्राम ढढरा थाना जानी जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 229 चमन सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 02-04-2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गोपीचन्द पुत्र श्रीचन्द निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-राजू पुत्र सतपाल निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-पीतम सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-महावीर पुत्र सीताराम निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 540 राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 02.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 108/25 धारा 80(1)/85
बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.3.25 को थाना सिंघावाली अहीर पर वादी शौकीन पुत्र कमालूद्दीन निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री के ससुराल जनो 1.पति सुहेब पुत्र शहजाद 2.देवर सुहेल पुत्र शहजाद 3.ससुर शहजाद पुत्र शबीव खां व 02 महिला निवासी गण बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित किया, अतिरिक्त दहेज की मांग की तथा मांग पूरी ना होने पर वादी की पुत्री मुस्कान उम्र 25 वर्ष की हत्या कर दी । इस सम्बध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 108/25 धारा 80(1)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 108/25 धारा 80(1)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुहेब पुत्र शहजाद निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर बागपत ।
- 2-उ0नि0 पुलकित सिंह थाना सिंघावली अहीर बागपत ।
- 3- है0का0 294 नरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

